MOST IMPORTANT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक :–एफ.28( )पंरावि/प्रशा–2/ग्रासे/समा/न्या.प्र./2018/ 1436 जयपुर,दिनांक:– 28/3/18

मख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त ।

विषय :–एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6401/2011 अशोक कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य से कवर्ड प्रकरणों की पालना के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6401/2011 अशोक कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अशोक कुमार प्रकरण से कवर्ड कार्मिकों को आवश्यक परीक्षण करने की शर्त पर समान लाभ देने हेतु निर्णय दिनांक 31.07.2013 को in-rem लागू किये जाने हेतु सैद्वान्तिक सहमति दी जाती है ।

इस हेतु जिला परिषद स्तर की निम्न कमेटी का गठन किया जाता है । यह कमेटी अशोक कुमार प्रकरण से कवर्ड कार्मिकों के प्रकरणों को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.6.2009 में वर्णितानुसार चैक लिस्ट एवं स्वपूरक टिप्पणी के साथ परीक्षण उपरान्त प्रकरण का निस्तारण करेगी :–

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित
2– अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित ।
3– मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, जिला परिषद, संबंधित ।
4– सहायक लेखाधिकारी–I, जिला परिषद, संबंधित ।

यहां पर यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय से प्रभावित कार्मिकों को नियमानुसार देय एरियर राशि संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी के सत्यापन के पश्चात् ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें ।

उक्त सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101801444 दिनांक 26.03.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

संलग्नः–वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 17.06.2009

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2– निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3–निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4–निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5–उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6–उप शासन सचिव (विधि), पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7–वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8–मुख्य/अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
9–व0लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
10–विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव